कार्यालय नगर पंचायत बनमनखी, (पूर्णियाँ)

पत्रांक– ..../न0पं0

प्रेषकः– नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0प0)
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार पटना।

बनमनखी दिनांक– ....

विषयः– नगर पंचायत बनमनखी के अंकेक्षण प्रतिवेदित संख्या– 279/16–17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक– 07/अंके0– 19/2014–511/न0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक– 06.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्यालय महालेखा कार (ले0प0) बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना से प्राप्त पत्र सं0– 14607/277 दिनांक– 11.11.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष– 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 279/16–17 जो नगर पंचायत बनमनखी को प्राप्त है के आलोक में अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने की माँग की गयी है। माँगी गयी वांछित प्रतिवेदन एवं साक्ष्य पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ज्ञापांक 69 /न0पं0, बनमनखी, दिनांक 09.1.18

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

Avdhesh@000005

कार्यालय नगर पंचायत बनमनखी, (पूर्णियाँ)

नगर पंचायत बनमनखी के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 279/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित का विवरणः–

क्रमांक	कंडिका संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग	विभाग द्वारा पत्र में अंकित अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण	अंकेक्षण दल द्वारा अंकित लेखा परीक्षा टिपन्नी	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	1	II (क)	डस्टबीन क्रय में की गई अनियमितताओं की विभागीय जाँच कार्रवाई की जाय और की गई कार्रवाई के साक्ष्य संलग्न करें।	1. बिना बोर्ड के प्रस्ताव के डस्टबीन 10 लीटर (ढक्कन सहित) के 2500 की संख्या में क्रय पर व्यय की राशि 14,95,000.00 रू0 (2500x598) अनियमित व्यय है। अनियमित व्यय 14,95,000.00 रू0 किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय। 2. निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल विषिष्टता 30 डिग्री से 70 डिग्री तक Constant का प्रमाणपत्र संलग्न करने के विन्दु का आधार लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। चयनित एजेसी द्वारा प्रस्तुत 30 डिग्री से 70 डिग्री तक Constant का प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। 3. बिना गारंटी/वारंटी संबंधित को प्रमाणपत्र अथवा एकरारनामा के एजेसी को भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय। 4. निविदा आमंत्रण सूचना में सभी सामग्रियों का 1 अदद क्रय हेतु ही क्यों विज्ञापित किया गया जबकि आपूर्ति आदेष 4000 डस्टबीन (20 लीटर – 2500) का दिया गया। सामग्रियों के अधिक संख्या में विज्ञापित होने से अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था जिस अवसर नगर पंचायत वंचित रहा। सामग्रियों की सही संख्या का उल्लेख निविदा आमंत्रण सूचना में नहीं किये जाने के कारणों स`लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय। 5. डस्टबीन का क्रय न्यूनतम दर निविदादाता से नहीं लेकर अधिकतम दर वाले निविदादाता से किया गया जिससे नगर पंचायत का 10,66,500.00 रू0 अतिरिक्त व्यय हुआ। न्यूनतम निविदादाता से क्रय नहीं नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय। 6. उपरोक्त क्रय के किये गये डस्टबीन के स्टाक प्राप्ति संबंधित भंडार पंजी लेखापरीक्षा प्रस्तुत किया जाय। 7. डस्टबीन के नगर पंचायत में आवष्यकता संबंधित यदि कोई सर्वे या विष्लेषण किया हो तो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।	1. बोर्ड के प्रस्वात के आलोक में 10 लीटर ढक्कन सहित डस्ट बीन क्रय किया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 2. निविदा आमंत्रण सुचना संलग्न 30 डिग्री से 70 तक का Constant प्रमाणपत्र संलग्न 3. गारंटी वारंटी एवं एकरारनामा का साक्ष्य संलग्न। 4. निविदा आमंत्रण सूचना का साक्ष्य संलग्न। चूकि कोटेशन के माध्यम से एक अदद का दर ज्ञात कर राशि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता अनुसार सामग्री का क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में एक अदद सामग्री का विवरण अंकित किया गया। उक्त अवधि में जानकारी के अभाव में ऐसा किया गया। इस प्रकार की पुनावृति भविष्य में नहीं किया जाएगा। 5. डस्टबीन का क्रय न्यूनतम दर निविदा दाता से नहीं किये जाने का कारण निविदा में वर्णित प्लास्टीक सामग्री का 30 डिग्री से 70 तक Constant dk प्रमाणपत्र न्यूनतम दर दाता के द्वारा निविदा के साथ संलग्न नहीं किया गया था। 6. उपरोक्त क्रय के किये गये डस्ट बीन के स्टोक प्राप्ती संबंधि भंडार पंजी का छाया प्रति संलग्न। 7. डस्ट बीन के नगर पंचायत में आवश्यकता संबंधी सर्वे गृह कर सर्वेक्ष के आधार पर किया गया। नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गृहकर धारकों की संख्या 5856 है। (साक्ष्य संलग्न)	
2	2		सोलर लाईट के क्रय में की गई अनियमितताओं की विभागीय जाँच कार्रवाई की जाय और की गई कार्रवाई के साक्ष्य संलग्न करें।	1. उल्लेखित 70 सोलर लाईट के अधिष्ठापन से संबंधित प्रमाण पत्र अधिष्ठापन तिथि सहित लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। सोलर लाईट नगर पंचायत में किस तिथि को प्राप्त हुई संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय। साथ ही भंडार पंजी में यदि प्रविष्ट की गई हो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। 2. पत्रांक– 1001 दिनांक– 26.12.2014 के द्वारा उपनिदेशक ब्रेडा पटना	1. अधिष्ठापन से संबंधित संलग्न 2. भंडार पंजी	

9.1.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बनमनखी

				को लिखे पत्र में यह कहा गया है कि अधिकांश सोलर लाईट जल नहीं रहा है। उक्त पत्र के आलोक खराब सोलर लाईट की संख्या कितनी थी? 3. दिनांक– 18.12.2015 को टिप्पनीमें दर्ज जानकारी के अनुसार 70 सोलर लाईट अर्थात आपूर्ति की गई सभी सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहें थे। क्या उसके प्च्चात सोलर लाईट की मरम्मति करायी गई वस्तुथिति से अवगत कराया जाय। 4. सोलर आपूर्ति हेतु ब्रेडा को दिये गये आपूर्ति आदेष में सोलर लाईट की गुणवत्ता सुनिष्चित करने हेतु क्या शर्ते निर्धारित की गयी थी संबंधि दस्तावेज लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। 5. सोलर लाईट की वारंटी कितने साल के लिए थी। संबंधित दस्तावेज वारंटी कार्ड के साथ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। 6. ब्रेडा को सोलर लाईट मरम्मति के लिए इतने विलंब (26.12.2014, 18.12.2015) से स्मार पनत्र क्यो दिया गया। 7. ब्रेडा द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने पर क्या मामले की जानकारी जिला पदाधिकारी/राज्य सरकार को दी गई। संबंधित तथ्य साक्ष्य सहित लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।	3. मरमती करायी गयी (साक्ष्य संलग्न) 4. साक्ष्य संलग्न 5. पत्र की छाया प्रति संलग्न 6. पत्र की छाया प्रति संलग्न 7. पत्र की छाया प्रति संलग्न	
3	3		कम जमा/नहीं जमा की राशि रू0 1010190/– वसूलकर्त्ता से वसूलकर उसे नगर पंचायत कोष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।	1. कम जमा/नहीं जमा राशि को अपने स्तर से नगर पंचायत कोष में जमा करवाया जाय। 2. नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अभी तक राशि नहीं जमा करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई।	1. कम जमा /नहीं जमा की राशि को संबंधित वसुल कर्त्ता से वसुल कर नगर पंचायत कोष में जमा करा दिया गया है। (साक्ष्य संलग्न) 2. कृत कारवई से संबंधित प्रति वेदन संलग्न	
4	4	II (ख)	प्रशासनिक भव के निर्माण में की गई अनियमितताओं की विभागीय जाँच कार्रवाई की जाय और की गई कार्रवाई के साक्ष्य संलग्न करें।	1. जब नगर विकास विभाग द्वारा मार्च 2007 में मॉडल प्राक्कलन हेतु नगर पंचायत बनमनखी के लिए प्रषसनिक भवन की स्वीकृति राषि 38,50,500 के लिए दी गई थी तो प्राक्कलन पुनरीक्षण की आवष्यकता क्या थी? यदि इसे पुनरीक्षित किया जाना था तो उसे कार्यादेष जारी करने से पहले क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में नगर विकास विभाग से परामर्ष क्यों नहीं लिया गया? 2. बिना अनुमोदन के किस प्रकार कनीय अभियंता द्वारा 30% अधिक क्षेत्रफल पर **Layont** कराया गया? 3. किस कारण से दो मापीपुस्तो में कार्यमूल्य दर्ज किए गए? एक मापी पुस्त के तृतीय मापी में कार्यमूल्य 23,29,912 दर्ज किया गया तो दूसरे मापीपुस्त के चतुर्थ मापी में कार्यमूलय 17,51,282.00 दर्ज किया गया। 4. कार्यपालक अभियंता डुडा पूर्णियाँ द्वारा मार्च 2013 में मॉडल प्राक्कलन (रू 60.09 लाख) आने के वावजूद अब तक 3 वर्ष उपरांत भी बुडा पटना से इस भवन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी। 5. योजना की अद्यतन स्थिति स्पष्ट किया जाय।		
5	5		सैरात बन्दोबस्ती की बकाया राशि रू0 1,78,100/– संबंधित व्यक्तियों से करके उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।	1. बंदोबस्ती से 63,000.00 रू वसूल नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय। 2. राशि रू 1,15,100.00 का बैक में जमा नहीं होने का कारण स्पष्ट किया जाय।	1. बन्दोवस्त धारी से राशि मो0– 63,000.00 (तीरसठ हजार) रुपया भुल वश शेष रह गया था। जिसकी वसूली हेतु नोटिश भेजा गया। (साक्ष्य संलग्न) 2. राशि रुपया 1,15,100.00 का बैक में जमा होने से संबंधि साक्ष्य संलग्न।	

(353)

6	6		दुकानों का शीघ्र आवंटन से संबंधित साक्ष्य।	1. दुकानो का आवंटन नहीं करने के कारण 1,16,000.00 रू हानि के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।	दुकानो का आवंटन सशक्त स्थायी समिति के द्वारा वित्तीय वर्ष–2016–17 में कर दिया गया है। (प्रस्ताव पंजी/एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न)	
7	7		श्रम शेष की राशि रू0 1,97,122/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करके उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।	1. श्रम शेष की कुल राषि 1,97,122.00 कटौती नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।	जानकारी के अभाव में उक्त राशि की कटौती (नया भवन निर्माण) नक्शा स्वीकृति के क्रम में नहीं किया जा सका। वर्त्तमान में श्रम सेस की राशि कटौती कर संबंधित विभाग में जमा कराया जाता है। (साक्ष्य संलग्न)	
8	8		मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि रू0 6,71,448/– की वसूलीकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।	1.मोबाईल टावर के पंजीकरण एवं नवीकरण के राशि 671448 रू के वसूल नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय। 2. साथ ही मोबाईल टावर पर स्थित प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिषत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बकाये से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए।	1. मोबाईल टावर के पजीकरण एवं नवीकरण करने हेतु संबंधित मोबाईल टावर अधिष्ठापन संस्थान से पत्राचार कर पंजीकरण/नवीकरण कराने का आदेश दिया गया है साक्ष्य संलग्न। 2. नगर पंचायत क्षेान्तर्गत मोबाईल टावर पर अतिरिक्त एटिना का सर्वेक्षण का कार्य कंपनी के द्वारा अधिष्ठापित टावर पर जाने के बाद भी अतिरिक्त एटिना की जानकारी नहीं दिये के कारण अतिरिक्त एटिना की वसूली का कार्य नहीं हो पा रहा है।	
9	9		मकान कर/सम्पति कर की कम वसूली की राषि रू0 132791. 18/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करके उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।	1. कम दर से मकान कर/सम्पत्ति कर के अधिरोपन से हुई रू 531269.72 हानि का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय। 2. शेष 11 वार्ड का उपरोक्त विवरणी एवं 6 प्रतिषत की मकान कर/सम्पत्ति के दर का अधिरोपण संबंधित बोर्ड की बैठक पंजी/संचिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।	1. कम दर से मकान कर /संम्पति कर वसूली के संबंध में कहना है कि विभागीय निदेश के आलोक में/2014–15 से ही 9 प्रतिशत की दर से गृहकर की वसूली की जानी थी। परन्तु पुनर गृह कर सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण पूर्व के दर 6 प्रतिशत की दर से ही गृहकर के राशि का वसूल किया जाता है। (साक्ष्य संलग्न) 2. उपरोक्त विवरणी एवं 6 प्रतिशत की मकान कर/सम्पति के दर का अधिरोपन संबंधी बोर्ड की बैठक पंजी उपलब्ध करायी जा रही है। (साक्ष्य संलग्न)	
10	11		भविष्य में जिला योजना समिति से योजनाओं को पारित करने संबंधी साक्ष्य संलग्न करें।	न्गर निकाय द्वारा योजनाओं का बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधान अनुसार जिला योजना समिति के अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रियान्ववयण किये जाने का कारण लेखा परीक्ष में स्पष्ट किया जाय।	बी0आर0जी0एफ0 जिला द्वारा संचालित योजनाओं का जिला योजना समिति से पारित होने के उपरान्त ही क्रियान्ववयण किया जाता है। नगर निकाय द्वारा चयनित योजनाओं के प्राशासनिक स्वीकृति मो0– 20,00,000.00 (बीस लाख) रू0 तक बोर्ड के द्वारा निष्पादित किया जाता है।	
11	12		असमायोजित अग्रिम की राशि रू0 122.12 लाख का समायोजन/वसूली संबंधी साक्ष्य।	1. इतनी बड़ी राशि का असमायोजित अग्रिम के रूप में होने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट करें।		

9.1.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बनमनखी
(पूर्णिया)

कार्यालय नगर पंचायत बनमनखी, (पूर्णियाँ)

कम जमा नहीं जमा से संबंधित प्रतिवेदन

क्रमांक	दिनांक	अंकेक्षण मेमो नं0	नाम	कम जमा / नहीं जमा राशि	जमा राशि	जमा एम0आर0 नं0 / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	
1	20.04.2016	05	सुनील कु0 मिश्र	1,24,900.00	1,24,900.00	5871/25.0416- 52,000.00 5912/07.12.16-50,000.00 5872/16.12.16-22,900.00	
4	20.04.2016	04	संजय कुमार मिश्र	5,320.00	5,320.00	5726/26.04.16-5,320.00	
5	25.04.2016	11	ओम प्रकाश केशरी	2,737.00	2,737.00	5870/24.04.16-2,637.00	
8	25.04.2016	14	चन्द्र किशोर दास	61,578.00	61,578.00	6928/24.04.16-61,578.00	
9	25.04.2016	20	मनीष कुमार मिश्रा	9,152.00	9,152.00	5869/25.04.16-9,152.00	
11	25.04.2016	20	शोभानंद यादव	1,10,375.00	1,10,375.00	6927/24.04.16-1,10,375.00	
				21,830.00	21,830.00	6926/24.04.16-21,830.00	
12	25.04.2016	21	सुनील कु0 मिश्रा	17,652.00	17,652.00	6923/24.04.16-15,000.00 6930/24.04.16-2,652.00	
	25.04.2016	21	शोभानंद यादव	8,580.00	8,580.00	6925/24.04.16-8,580.00	
	25.04.2016	23	शोभानंद यादव	3,73,691.00	3,73,691.00	6929/24.04.16-3,73,475.00	
				2,74,375.00	2,74,375.00		
13				10,10,190.00	10,10,190.00		

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बनमनखी
(पूर्णियाँ)